बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

महत्वपूर्ण

पत्रांक: वि.ज.स्व.मि./ज.गु-1010/16-1298 दिनांक: 27/10/2016

प्रेषक,

अंशुली आर्या,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक),
लोक स्वास्थ्य कार्य प्रमंडल, बिहार।

विषय: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।
प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 6/वि.1-1098/2016(खण्ड)-2602 दिनांक: 16.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सात निश्चय में 'हर घर नल का जल' निश्चय को पूरा करने की दिशा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा राज्य के जल गुणवत्ता से प्रभावित सभी बसावटों एवं पूर्व से अधिष्ठापित/क्रियान्वित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं से आच्छादित ग्राम पंचायतों को 'हर घर नल का जल' से पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है-

ग्रामीण जलापूर्ति हेतु आच्छादित एवं लक्षित ग्राम पंचायतें: 3378	**पंचायत**	**वार्ड (संख्या में)**		
		वार्ड जिनमें गुणवत्ता प्रभावित बसावटें हैं	गैर गुणवत्ता प्रभावित बसावट वाले वार्ड	कुल
फ्लोराईड प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायत	546	3467	3997	7464
आर्सेनिक प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायत	289	961	2990	3951
आयरन प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायत	1576	21544	—	21544
पूर्व से अधिष्ठापित जलापूर्ति योजना आच्छादित ग्राम पंचायत	845	0	11551	11551
विश्व बैंक सहायतित परियोजना आच्छादित ग्राम पंचायत	119	0	1627	1627
DFID सहायतित परियोजना आच्छादित ग्राम पंचायत	3	0	41	41
कुल	**3378**	**25972**	**20206**	**46178**

राज्य के गुणवत्ता प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायतों के गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों तथा विभाग द्वारा अधिष्ठापित/स्वीकृत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं द्वारा आच्छादित 1683 ग्राम पंचायतों के लगभग 15,253 वार्ड में **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना** का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है-

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु लक्षित ग्राम पंचायतें: 1683	आंशिक रूप से आच्छादित पंचायत	**गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड** (संख्या में)		
		कुल	**आच्छादित वार्ड**	प्रस्तावित योजना से आच्छादित होने वाले वार्ड
फ्लोराईड प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायत	546	3997	0	3997
आर्सेनिक प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायत	289	2990	0	2990
पूर्व से अधिष्ठापित जलापूर्ति योजना आच्छादित ग्राम पंचायत	845	11551	3295	8256

DFID सहायतित परियोजना आच्छादित ग्राम पंचायत	3	41	31	10
कुल	1683	18579	3326	15253

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में चिह्नित ग्राम पंचायतों के 2288 वार्डों में हर घर नल का जल योजना ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कराई जायेगी। योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध 14वें वित्त आयोग एवं 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से की जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर राज्य योजना मद के राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्धारित 2288 वार्डों के आच्छादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे

1. जिला स्तर पर सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की एक बैठक आहूत की जायेगी।
2. बैठक में (i) गुणवत्ता प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायतों के गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों तथा (ii) विभाग द्वारा पूर्व से अधिष्ठापित/स्वीकृत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने की रणनीति पर चर्चा की जायेगी।
3. 'हर घर नल का जल' से आच्छादन हेतु अग्रलिखित वरीयता क्रम में वर्ष 2019–20 तक लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से वार्षिक लक्ष्य चिन्हित किये जायेंगे–
   I. विभाग द्वारा पूर्व से अधिष्ठापित ग्रामीण जलापूर्ति योजना से 60–70 प्रतिशत तक आच्छादित ग्राम पंचायतों के वार्ड;
   II. सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चिन्हित ग्राम पंचायत वार्ड;
   III. खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्राम पंचायत के वार्ड।
4. लक्ष्य निर्धारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव से संपर्क स्थापित कर अवर प्रमंडलवार सहायक अभियंता एक बैठक आयोजित करेंगे और ग्राम पंचायतों से वार्षिक कार्ययोजना को साझा करते हुए उनसे निम्नलिखित सूचना प्राप्त करेंगे--
   I. 'ग्राम पंचायत विकास योजना' तैयार है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त है या नहीं?
   II. वार्षिक योजना 2016–17 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त है या नहीं?
   III. ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित वार्ड की संख्या एवं विवरण (भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, सामाजिक, जल स्त्रोत, बिजली, सड़क, आदि आधारभूत संरचना, का विवरण, आदि);
   IV. योजना के क्रियान्वयन हेतु 14वें वित्त आयोग एवं 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त निधि की स्थिति।
5. उपर्युक्त सूचनाएं संधारित कर सभी संबंधित सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को दिनांक: 19.11.2016 के पूर्व उपलब्ध करायेंगे। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता जिला स्तर पर बैठक आयोजित कर वार्षिक कार्ययोजना 2016–17 को अंतिम रूप देंगे। इस बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
6. जिला स्तरीय बैठक की कार्रवाई एवं संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को 23.11.2016 के अपराह्न तक हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

अनुलग्नक: प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश एवं प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 1298 दिनांकः 27/10/16

प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अचंल, बिहार को प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेशों को सीमावधि में पूरा करने हेतु अपने स्तर से अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे तथा अवर प्रमंडल पर आयोजित होने वाली मुखिया/पंचायत सचिव की बैठक में प्रति जिला न्यूनतम एक बैठक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 1298 दिनांकः 27/10/16

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेशों को सीमावधि में पूरा करने हेतु राज्य मिशन में कार्यरत किसी एक परामर्शी को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु नामित करेंगे तथा राज्य मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/परामर्शियों का रोस्टर तैयार कर जिला एवं अवर प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करायेंगे।

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 1298 दिनांकः 27/10/2016

प्रतिलिपिः आई.टी. प्रबंधक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि राज्य मुख्यालय में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारियों एवं परामर्शियों के साथ विमर्श कर योजना की प्रगति प्रतिवेदन एवं समीक्षा हेतु ऑनलाईन एम.आई.एस. तैयार एक पक्ष के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

"हर घर नल का जल" योजना की प्रगति एवं अद्यतन जानकारी

क्रम संख्या	जिला का नाम	लो०स्वा०प्र० का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	निर्धारित लक्ष्य (2016-17)	ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल है या नहीं ?	वार्षिक योजना में शामिल है या नहीं ? यदि हाँ तो योजना का वर्ष	वार्ड सभाओं द्वारा चयनित योजनाओं की संख्या	ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित योजनाओं की संख्या	गठित वार्ड विकास समितियों की संख्या	योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वार्डों में खोले गए बैंक खातों की संख्या	तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की संख्या	कार्यादेश निर्गत योजनाओं की संख्या	योजनाओं की संख्या जिनमें कार्य प्रारंभ हो चुका है
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः—6 / वि.1 -1098 / 2016 (खण्ड) - 2602 पटना, दिनांकः 16/09/16

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत "हर घर नल का जल" निश्चय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व से आंशिक रूप से आच्छादित ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को नल का जल देने हेतु समुदाय संचालित "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना" के कार्यान्वयन हेतु रू. 54361.68 लाख (पाँच सौ तैंतालिस करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार रूपये) की योजना की स्वीकृति।

आदेश—सुशासन के कार्यक्रम 2015—2020 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सात निश्चय में 'हर घर नल का जल' निश्चय को पूरा करने की दिशा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किये गये प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 8391 ग्राम पंचायतों में से 2411 ग्राम पंचायतों के 22,261 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित (फ्लोराइडः 546 ग्राम पंचायत में 3467 बसावट, आर्सेनिकः 289 ग्राम पंचायत में 961 बसावट एवं आयरनः 1576 ग्राम पंचायत में 17833 बसावट) हैं। साथ ही, पूर्व से अधिष्ठापित / स्वीकृत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाएं 845 ग्राम पंचायतों में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक संपोषित 'ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना' अंतर्गत 119 ग्राम पंचायतों में नल का जल उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही, 03 ग्राम पंचायतों में DFID के सहयोग से जलापूर्ति का कार्य संपादित किया जा रहा है। विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई / की जा रही मिनी जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से आच्छादित ग्राम पंचायतें शामिल नहीं हैं तथा ऐसे ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को 'नल का जल' से संतृप्त करने का कार्य पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा।

सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण (SECC), 2011 के अनुसार राज्य की कुल ग्रामीण आबादी 9,85,52,478 (नौ करोड़ पचासी लाख बावन हजार चार सौ अठहत्तर) है। ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 1,78,29,066 (एक करोड़ अठहत्तर लाख उनतीस हजार छियासठ) है। वर्तमान में 8391 (आठ हजार तीन सौ इक्कानबे) ग्राम पंचायत हैं, जिसके आधार पर एक ग्राम पंचायत की अनुमानित आबादी लगभग 13,225 (तेरह हजार दो सौ पच्चीस) है और ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्डों की संख्या 1,14,733 (एक लाख चौदह हजार सात सौ तैतीस) के आधार पर प्रति पंचायत औसत वार्ड लगभग 14 (चौदह) और एक वार्ड की औसत आबादी 967 (नौ सौ सड़सठ) होगी। इसी प्रकार एक वार्ड में औसत अनुमानित घरों की संख्या 155 (एक सौ पचपन) होगी। वास्तविक रूप में किसी विशिष्ट पंचायत में वार्ड एवं उसके अंतर्गत घरों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

विभाग द्वारा पूर्व में बसावट आधारित नियोजन की रणनीति अपनाई जा रही थी, परन्तु पंचायती राज विभाग के द्वारा अपनाई गई रणनीति के आलोक में ग्रामीण इलाकों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने के लिए वार्ड आधारित नियोजन पद्धति अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना** के क्रियान्वयन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्याः 3प/मु0मं0नि0यो0--19--04/2016/09 दिनांकः 05.08.2016 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वित किया जायेगा (प्रतिलिपि संलग्न--अनुलग्नक 1)।

योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार होगा। विश्व बैंक सहायतित परियोजना से 10 जिलों (बांका, बेगूसराय, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, सारण, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर) के 119 चिन्हित ग्राम पंचायतों के 1627 वार्डों में 'हर घर नल का जल' उपलब्ध कराया जायेगा। विभाग द्वारा पूर्व अधिष्ठापित/क्रियान्वित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं से 845 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से आच्छादित हैं। इन ग्राम पंचायतों के लगभग 3295 वार्डों में स्टैण्ड पोस्ट एवं आंशिक गृह संयोजन द्वारा जलापूर्ति की जाती है। ऐसे वार्डों को केन्द्र/राज्य प्रायोजित अन्य योजना से 'हर घर नल का जल' से पूर्ण रूप से आच्छादित किया जायेगा। साथ ही, DFID संपोषित ग्रामीण जलापूर्ति योजना से 3 गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के 31 वार्ड आच्छादित हैं, अवशेष 10 वार्डों को प्रस्तावित योजना से आच्छादित किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तावित योजना से राज्य के सभी 38 जिलों के चिन्हित 1683 ग्राम पंचायतों के लगभग 15,253 वार्ड आच्छादित होंगे--

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु लक्षित ग्राम पंचायतें: 1683	आंशिक रूप से आच्छादित पंचायत	गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड (संख्या में)		
		कुल	आच्छादित वार्ड	प्रस्तावित योजना से आच्छादित होने वाले वार्ड
फ्लोराईड प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायत	548	3997	0	3997
आर्सेनिक प्रभावित बसावट वाले ग्राम पंचायत	289	2990	0	2990
पूर्व से अधिष्ठापित जलापूर्ति योजना आच्छादित ग्राम पंचायत	845	11551	3295	8256
DFID सहायतित परियोजना आच्छादित ग्राम पंचायत	3	41	31	10
कुल	1683	18579	3326	15253

पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्याः 3प/मु0मं0नि0यो0--19--04/2016/09 दिनांकः 05.08.2016 में सम्पूर्ण बिहार के 8391 ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन राशि तथा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि को जोड़कर कुल 70 प्रतिशत राशि पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016--17 तथा अगले तीन वित्तीय वर्षों में इन योजनाओं को पूरा करने पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि को आवश्यकतानुसार राज्य योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जितनी भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन राशि तथा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि के क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत अंश को जोड़ने के बाद बची हुई राशि की आवश्यकता को राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा करेगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के लिए दी जाने वाली राशि को पंचायती राज विभाग, बिहार के माध्यम से अलग बैंक खाता में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा अंतरित करने की व्यवस्था की जायेगी तथा राज्य योजना मद की राशि को जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यय करने हेतु पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे। राज्य योजना के अंतर्गत

पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पंचायती राज विभाग, बिहार के प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश में एक पंचायत को हर घर नल का जल से आच्छादित करने के लिए रू. 166.32 लाख (एक करोड़ छियाराठ लाख बत्तीरा हजार रूपये) मात्र की राशि निर्धारित की गई है, जो प्रति ग्राम पंचायत 14 वार्ड को औसत मानते हुए एक वार्ड हेतु रू. 11.88 लाख निर्धारित है। इस गणना के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना अंतर्गत आच्छादित वार्डों में जलापूर्ति योजना से पूर्ण आच्छादन हेतु रू. 181205.64 लाख (एक हजार आठ सौ बारह करोड़ पाँच लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र की आवश्यकता होगी, जिसमें से 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से रू. 126843.96 लाख (एक हजार दो सौ अडसठ करोड़ तैंतालिस लाख छिनयनबे इजार रूपये) मात्र व्यय होंगे। वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अधिकतम रू. 54361.68 लाख (पाँच सौ तैंतालिस करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार) मात्र की व्यवस्था राज्य योजना से अभिसरण हेतु की जायेगी। तदनुसार चार वर्षों में राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की प्रति वर्ष अनुमानित आवश्यकता निम्न होगी –

वर्ष	प्रति वार्ड राशि की आवश्यकता (रू. लाख)	वर्णित वर्ष में कार्यारंभ हेतु लिए जानेवाले वार्डों का प्रतिशत	सम्पूर्ण राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता (इकाई लागत X वार्डों की संख्या)(रू.लाख में)	
2016–17	11.88	15	11.88 लाख × 2288 वार्ड =	27181.44
2017–18	11.88	30	11.88 लाख × 4576 वार्ड =	54362.88
2018–19	11.88	35	11.88 लाख × 5338 वार्ड =	63415.44
2019–20	11.88	20	11.88 लाख × 3051 वार्ड =	36245.88
	कुल	100	11.88 लाख × 15253 वार्ड =	181205.64

योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार राशि की आवश्यकता:–

(रू. लाख में)

क्र0	वर्ष	14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेयजलापूर्ति योजना हेतु पंचायत से कुल उपलब्ध होने वाली राशि (70%)	राज्य योजना मद की राशि (30%)	अभिसरण के उपरांत कुल उपलब्ध राशि
1	2	3	4	5
1	2016–17	19027.01	8154.43	27181.44
2	2017–18	38054.02	16308.86	54362.88
3	2018–19	44390.81	19024.63	63415.44
4	2019–20	25372.12	10873.76	36245.88
	कुल	**126843.96**	**54361.68**	**181205.64**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु राज्य योजना मद में बजट प्रावधान नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना मद से रू. 8154.43 लाख (इक्कासी करोड़ चौव्वन लाख तैंतालिस हजार) मात्र की आवश्यकता है, जिसे अनुपूरक बजट/बिहार आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाएगा।

2. इस योजना पर होने वाले राशि का व्यय नया बजट शीर्ष खोल कर अलग से किया जायेगा।
3. इस योजना के लिए योजना मद की राशि पंचायती राज विभाग, बिहार को उपलब्ध कराने हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय द्वारा राशि की निकासी कर बिहार

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को हस्तांतरित की जायेगी। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

4. योजना एवं गैर–योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम 4'53/2007–96 वि0(2), दिनांकः 03.01.08 के आलोक में दिनांकः 05.09.2016 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं दिनांकः 06.09.2016 को हुई मंत्रिपरिषद् की की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी गई है।
5. वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु राज्य योजना मद में बजट प्रावधान नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना मद से रू. 8154.43 लाख (इक्कासी करोड़ चौव्वन लाख तैंतालिस हजार) मात्र की आवश्यकता है, जिसे अनुपूरक बजट/बिहार आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाएगा।
6. इस पर आंतरिक वित्त सलाहकार का सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

15/9

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांकः 6/वि.1–1098/2016 (खण्ड)–2602 पटना, दिनांकः 16/09/16

प्रतिलिपिः

1. अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/कल्याण विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनुलग्नक सहित अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता (मो.)/निदेशक, पी.एम.यू./निदेशक, सी.सी.डी.यू./कार्यपालक अभियंता (मो.–1), कार्यपालक अभियंता (मो./मू.)/उप निदेशक (अन्वेषण/मूल्यांकन)/परियोजना पदाधिकारी/सहायक बजट पदाधिकारी/प्रशाखा–4 एवं 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुलग्नक सहित सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

अनुलग्नक - 1

(16)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या–3प / मु0मं0नि0यो0–19–04 / 2016 / 09 पटना दिनांक 05 / 08 / 2016

वित्त विभाग से अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार बिहार (लेखा एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा "सात निश्चय" लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों (i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं (ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना है। इन दोनों योजनाओं के द्वारा क्रमशः ग्रामीण आबदी को पाईप द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं गाँवों के पक्की गली–नाली का निर्माण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है।

SECC, 2011 के आधार पर वर्ष 2015 में बिहार की कुल आबादी 111066625 (ग्यारह करोड़ दस लाख छियासठ हजार छह सौ पच्चीस) है। ग्रामीण आबादी 98552478 (नौ करोड़ पचासी लाख बावन हजार दो सौ अठहत्तर) तथा ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 17829066 (एक करोड़ अठहत्तर लाख उनतीस हजार छियासठ) है। बिहार में वर्तमान में 8391 (आठ हजार तीन सौ इक्यानवे) ग्राम पंचायते है जिसके आधार पर एक ग्राम पंचायत की अनुमानित औसत आबादी लगभग 13225 (तेरह हजार दो सौ पच्चीस) है और वर्तमान 114733 (लगभग एक लाख चौदह हजार सात सौ तैंतीस) वार्डों के आधार पर एक ग्राम पंचायत के एक वार्ड की औसत अनुमानित आबादी लगभग 967 (नौ सौ सड़सठ) तथा इसमें औसत अनुमानित घरों की संख्या 155 (एक सौ पचपन) है। वास्तविक रूप में किसी विशिष्ट वार्ड में घरों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

(i) **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना** :–इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी–छोटी योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जायेगी। इस योजना में पाईप द्वारा जलापूर्ति हेतु ग्राम पंचायत के एक वार्ड में प्रतिदिन लगभग 63000 (तिरसठ हजार) लीटर (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से) पानी की वर्तमान में आवश्यकता है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिबल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जायेगा। बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल द्वारा जलापूर्ति की जायेगी। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जायेगी। बोरिंग से सीधे पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित

लगातार.........

किया जायेगा। इस योजना के लिए [illegible] विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा जाएगा। स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। मानक प्राक्कलन तैयार करने में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता ली जायेगी। वैसे सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों मे, जहॉं पानी में फ्लोराईड, आर्सेनिक एवं लौह (आयरन) संबंधी अशुद्धियाँ पायी जाती हैं या पूर्व से ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा इन्हें विश्व बैंक परियोजना/डी०एफ०आई०डी० सम्पोषित योजना/पाईप जलापूर्ति योजना (Piped Water Supply Scheme) के तहत आच्छादित कर पाईप द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित इस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जायेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनानुसार ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 3378 है।

जलापूर्त्ति कार्य पर होने वाले आवर्त्ती व्यय एवं रख–रखाव मद की राशि की व्यवस्था पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि से एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) कर की जायेगी।

ग्राम पंचायतों मे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में उपभोक्ता शुल्क की राशि का नियमानुसार निर्धारण स्थानीय स्तर पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दर के अध्यधीन तय किया जायेगा।

(ii) **निधि की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रबंधन :–** मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा अगले तीन वित्तीय वर्षों में इन योजनाओं को पूरा करने पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय की 30 प्रतिशत राशि राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00–लघु शीर्ष 196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0109–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515001960109); मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00– लघु शीर्ष 197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0106–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515001970106); मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00– लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष 0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515007890112) एवं मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00– लघु शीर्ष 198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515001980113) मद से सहायक अनुदान के रुप में उपलब्ध कराई जायेगी। भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु

लगातार.......

(14)

जितनी भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि तथा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन राशि के क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत अंश को जोड़ने के बाद बची हुई राशि की आवश्यकता को राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा करेगी। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 156(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाली बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की कम-से-कम 40 प्रतिशत राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाले प्रतिनिधायन (Devolution) की राशि का कम-से-कम 45 प्रतिशत राशि उपर्युक्त राज्य योजना के अंतर्गत खर्च करने का निदेश तथा अन्य आवश्यक निदेश जारी किये जायेंगे।

वैसे ग्राम पंचायतों में जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में किया जायेगा, योजना राशि का प्रबंधन इसी आधार पर किया जायेगा, केवल राज्य योजना मद की राशि की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट के माध्यम से किया जायेगा।

एक पंचायत में औसतन इस योजना के पूर्ण आच्छादन हेतु लगभग ₹166.32 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र की आवश्यकता होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा लगभग 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में इस योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा। तदनुसार चार वर्षों में राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की प्रति वर्ष अनुमानित आवश्यकता निम्न होगी:-

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रति वार्ड राशि की आवश्यकता	प्रति पंचायत वर्णित वर्ष में कार्यारंभ हेतु लिए जानेवाले वार्डों का प्रतिशत	सम्पूर्ण राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता		आकलित राशि का 60 प्रतिशत
2016-17	11.88	20	11.88 × 8391×3 =	299055	179433
2017-18	11.88	30	11.88 × 8391×4 =	398740	239244
2018-19	11.88	30	11.88 × 8391×4 =	398740	239244
2019-20	11.88	20	11.88 × 8391×3 =	299055	179433
कुल :-				1395590	837354

(अर्थात् लगभग तेरासी अरब तिहत्तर करोड़ चौवन लाख रुपये मात्र)

लगातार.....

60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार राशि उपलब्धता की संभावनाः—

(₹करोड़)

क्र0	वर्ष	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होनेवाली राशि*		पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होनेवाली राशि* (गणना वर्ष 2015—16 की राशि को स्थिर मानते हुए की गई है)		कुल उपलब्ध राशि (4+6)	कुल उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत	राज्य योजना मद की राशि	[illegible]
		कुल बुनियादी अनुदान	कुल बुनियादी अनुदान का 40%	कुल प्रतिनिधायन की राशि	कुल प्रतिनिधायन की राशि का 45%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	[illegible]
1.	2016–17	3142.08	1257.00	1212.75	545.74	1802.74	1081.64	712.69	[illegible]
2.	2017–18	3630.39	1452.16	1212.75	545.74	1997.90	1198.74	[illegible]	[illegible]
3.	2018–19	4199.71	1679.88	1212.75	545.74	2225.62	1335.37	[illegible]	[illegible]
4.	2019–20	5674.70	2269.88	1212.75	545.74	2815.62	1689.37	[illegible]	[illegible]
	कुल	16646.88	6658.92	4851.00	2182.96	8841.88	5305.12	3068.12	[illegible]

(*राजस्व तरलता के कारण वास्तविक राशि में अंतर आ सकता है तथा वास्तविक व्यय के अनुरूप [illegible] राशि को बढ़ाया जा सकता है।)

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में [illegible] ₹712.69 करोड़ (सात अरब बारह करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि [illegible] किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद में मुख्यमंत्री निश्चय [illegible] हेतु कुल ₹680.00 करोड़ (छह अरब अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट [illegible] किया गया है, जिसमें ₹330.00 करोड़ (तीन अरब तीस करोड़ रूपये) मात्र का [illegible] योजना के अंतर्गत किया जायेगा। शेष ₹382.69 (तीन अरब बयासी करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र का प्रावधान अनुपूरक बजट / बिहार आकस्मिकता निधि से किया जायेगा।

ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजनाओं के लिए अलग खाता [illegible] जायेगा। मुख्यमंत्री निश्चय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दी जानेवाली [illegible] सीधे उनके बैंक खाता में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा अंतरित करने की व्यवस्था [illegible] जायेगी।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन** :— उपर्युक्त योजनाओं का चयन वार्ड सभा [illegible] सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत [illegible] योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु वार्डों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बाहुल्यता एवं तत्पश्चात वार्डों की जनसंख्या को दृष्टिपथ रखा जायेगा। इनका क्रियान्वयन वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में समिति गठित कर ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा।

(iv) **योजनाओं का अनुश्रवण एवं निगरानी** :— योजनाओं की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं निगरानी बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा—10 के तहत निगरानी समिति गठित कर, राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों एवं आवश्यकतानुसार स्वतंत्र वाह्य एजेंसियों (Third Party Monitoring) द्वारा भी कराया जा सकेगा। जिला स्तर पर नियमित अनुश्रवण सुशासन के कार्यक्रम हेतु गठित अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा।

लगातार.....

(12)

(v) **योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुदेश** :– ग्राम पंचायतों द्वारा इस योजना के लिए खाते का संधारण, राशि का अंतरण एवं निकासी, कार्यान्वयन, तकनीकी स्वीकृति, अनुश्रवण एवं निगरानी आदि के लिए विस्तृत अनुदेश विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे।

3. इस योजना में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12.07.2016 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

4. प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

5/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016/ 09 /पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016/ 09 /पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता बिहार, उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016/ 09 /पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लगातार........

क्र० 4' 3'

सभी उप विकास आयुक्त [illegible] कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् [illegible] जिला के जिला परिषद् अध्यक्ष [illegible] कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड–विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति अपने–अपने पंचायत समिति अध्यक्ष एवं पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को इसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायेंगे।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016 / 09 / पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/ 2016

प्रतिलिपिः मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016 / 09 / पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/ 2016

प्रतिलिपिः आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव